बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 176323 / पटना, दिनांक 05/02/2014

संOसंO-ग्राOविO-6/प्रतिO-07-01/2008

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मियों को एOसीOपीO ग्रेच्यूटी तथा पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मियों द्वारा समय-समय पेंशन/ग्रेच्यूटी एवं एOसीOपीO की माँग की गई है । उल्लेखनीय है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अंतर्गत एक निबंधित स्वायत्ताशासी निकाय है तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त नहीं है ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 7566 दिनांक- 14.07.2010 के कंडिका-3 के निहित प्रावधान के आलोक में एOसीOपीO केवल सरकारी एवं नियमित कर्मचारी को ही दिया जाने का प्रावधान है । अतः डीOआरOडीOएO कर्मियों को यह अनुमान्य नहीं है ।

पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक- 93214 दिनांक- 27.02.2012 द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है । ग्रेच्चूटी एवं पेंशन की आदेयता की सुविधा देय नहीं है स्पष्ट किया जा चुका है । यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रबंध पर्षद की सहमति से अव्यवहृत उपाO अवकाश के बदले में समतुल्य नगद राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।

कृप्या ऐसे सभी मामलों में उक्त प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

विशवासभाजन

05/02/14

(मनोज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

Letter No 280 (General. Letter D.Drive)